न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. 2018 विविध – 6530/2018/सिंगरौली/भू.रा

यमुना सिंह मृत वारिसान

1. रामनारायण सिंह पुत्र यमुना सिंह
2. हरिनारायण पुत्र नर्मदा सिंह
3. रघुराज सिंह पुत्र नेपाल सिंह
4. राजेश कु. सिंह पुत्र जगतनारायण
5. रोहित सिंह पुत्र जगतनारायण
6. सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह
7. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह
8. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह
9. यशवंत सिंह
10. रविकरण सिंह
11. राजकरण सिंह
12. अरविन्द सिंह
13. राघवेन्द्र सिह

(9–13) पुत्रगण स्व. श्री नर्मदा सिंह

14. महेश प्रताप सिंह पुत्र कृष्णप्रताप सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम गभियारी तहसील बैढ़न जिला सिगरौली म.प्र.

—— आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली

—— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार बैढ़न(सिंगरौली) जिला सिंगरौली के प्र.क्र. 83/अ–06/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत।

सतेन्द्र सिंह ... आज दि. 26.12.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31.12.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.12.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सतेन्द्र सिंह ... 26.12.18

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल ... 984 ... 01 से 10 ... 26/12/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(33)

प्रकरण क्रमांक - विविध-6530/2018/सिंगरौली/भू.रा.

रामनारायण विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-03-1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03-03-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवदेन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है । मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके । अत: धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	